बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0–निग / सारा–1 (पथ) एन0एच0–87 / 2013 54(S) पटना, दिनांक :– 03/1/18

श्री कमल किशोर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक निदेशक, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस स्थित मोहनियाँ सम्प्रति : सेवानिवृत सहायक निदेशक द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस स्थित मोहनियाँ के पदस्थापन काल में मोहनियाँ चेक पोस्ट के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आरोप के लिए श्री सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4977 (एस) अनु0 दिनांक–04.06.15 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही का संचालन प्रारंभ किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक–74 / एम0सी0 दिनांक–25.08.15 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अंतर्गत संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' के तहत गठित कुल 9 (नौ) आरोपों में से 8 (आठ) आरोपों के प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–9541 (एस) अनु0 दिनांक–07.10.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया।

4. श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया गया है कि वे दिनांक–01.10.09 से 29.10.12 तक राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुण नियंत्रण, अवर प्रमंडल, कोचस एट मोहनियाँ में Scientist के रूप में सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित थे। अभियंत्रण कार्य के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उनका कोई संबंध नहीं था, बल्कि गुण नियंत्रण से संबंधित होने के कारण इनके द्वारा तत्संबंधी परीक्षण फल समर्पित किया गया था। सहायक निदेशक के रूप में न तो वे संपादित कार्यों की मापी अंकित करने, न ही विपत्र बनाने से संबंधित थे और न ही किसी प्रकार से संवेदक के भुगतान से कोई संबंध नहीं होना अंकित किया गया।

इसके अतिरिक्त, गुण नियंत्रण इकाई, मोहनियाँ द्वारा Hot mix plant से गिरने के तुरंत बाद नमूना एकत्र कर Bitumen content की जाँच की गयी थी। वर्णित परिस्थिति में गुण नियंत्रण इकाई द्वारा प्रतिवेदित Bitumen Content के जाँचफल की तुलना की कोई प्रावैधिक प्रासंगिकता नहीं बतायी गयी।

श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में विभिन्न अनुलग्नकों के माध्यम से यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि कार्य विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया और आरोप संख्या–01–09 को स्वयं से संबंधित नहीं होना अंकित करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

5. श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि मोहनियाँ चेक पोस्ट के अपर साईड में पथ परत पूर्णतः क्षतिग्रस्त (बिटुमिनस परत सहित) होने, पथ में बड़े–बड़े गहरे पॉट्स एवं undulations, पथ में कराये गये DBM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा

न्यूनतम प्रावधान 4.50 प्रतिशत के स्थान पर **3.08 प्रतिशत पाये जाने**, पथ में कराये गये BC कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट का **8.97 प्रतिशत ओभर साईज** पाये जाने, BC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा का प्रावधान 5.40 से 5.60 प्रतिशत के स्थान पर **4.55 प्रतिशत पाये जाने** एवं गुण नियंत्रण के प्रभारी होने के कारण समय–समय पर निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच नहीं किये जाने सहित गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने में अपनी तकनीकी भूमिका का निर्वहन नहीं किये जाने के बिन्दु पर गठित आरोपों के संबंध में श्री सिंह के द्वारा कोई तथ्यात्मक पक्ष नहीं रखा गया और न ही पर्याप्त साक्ष्य ही संलग्न किया गया, जो श्री सिंह के दोष को स्वाभाविक रूप से परिलक्षित करता है, जिसके फलस्वरूप श्री सिंह का द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. तद्‌लोक में श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों का दोषी पाते हुए **श्री सिंह के पेंशन से 5 प्रतिशत की कटौती के दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।**

7. उक्त अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (ख) के परन्तुक के उपनियम–(क)(iii)(ग) में निहित प्रावधानों के तहत दंडों को अधिरोपित किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक–8622 (एस) अनु0 दिनांक–21.10.16 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अनुमोदित दंड पर सहमति/परामर्श की मांग की गयी। उक्त मांगे गये परामर्श/सहमति के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–3596 दिनांक–09.03.17 द्वारा दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त किया गया।

8. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में प्रस्तुत मामले में संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के तहत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए सम्यक् विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–2814 (एस) दिनांक–24.03.17 द्वारा श्री कमल किशोर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक निदेशक, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस स्थित मोहनियाँ (सम्प्रति : सेवानिवृत सहायक निदेशक) के विरूद्ध **निम्न दंड संसूचित किया गया :–**

(i) देय पेंशन से स्थायी रूप से पाँच प्रतिशत की कटौती।

9. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह के अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–05.05.17 एवं पत्रांक–शून्य दिनांक–12.06.17 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षा के उपरांत पाया गया कि पुनर्विचार अभ्यावेदन में श्री सिंह के द्वारा आरोप संख्या–01 से 06 तक के संबंध में अंकित किया गया है कि–यह आरोप पथ के रख–रखाव एवं कार्यान्वयन से संबंधित है और चूँकि वे गुण नियंत्रण से संबंधित थे, ऐसी स्थिति में यह आरोप उन पर लागू नहीं होता है। इस संबंध में श्री सिंह के द्वारा स्वयं के संदर्भ में प्रेषित विभागीय मंतव्य का संदर्भ देते हुए, अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा भी जाँचोपरांत दोषमुक्त किये जाने की अनुशंसा का भी उल्लेख किया गया है।

साथ हीं गुण नियंत्रण के प्रभारी होने के कारण समय–समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने में तकनीकी भूमिका का निर्वहन नहीं किये जाने के संबंध में श्री सिंह के द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि–उनके द्वारा साईट पर नमूना लाने के पहले हॉट मिक्स प्लांट पर जाकर अलकतरा की मात्रा एवं सामग्री की ग्रेडिंग जाँच की जाती रही है और जाँचफल से संबंधित कार्य अभियंताओं को अवगत कराते रहे हैं, क्योंकि कार्य को जाँचफल के अनुरूप कार्य कराना अभियंताओं का